न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 10.03.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/29

लेहरू पिता भूरा जी जाति ब्राह्मण, निवासी बारू, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.02.2021 न्यायालय तहसीलदार राशमी, बमिसल क्रमांक 05/2021

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 09.02.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम वासीयान की ओर से प्रस्तुत शिकायत कि अपीलांट ने ग्राम पंचायत बारू में पुराने पंचायत भवन के पास खाली पडी भूमि किस्म रास्ता पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का बारू के पास भेजा जिस पर पटवारी हल्का बारू की रिपोर्ट पर दिनांक 14.01.2021 को टीम

गठित कर मौका जांच एवं सीमा जानकारी कर कार्यवाही के आदेश दिए। उक्त टीम के द्वारा दिनांक 19.01.2021 को सीमांकन एवं अतिक्रमियों को चिन्हित कर अपीलांट के विरूद्ध भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट का रास्ते की भूमि पर कब्जा मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 03.02.2021 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1.00 रू. का पचास गुणा यानि 50/- रूपये शास्ति वसूली के आदेश पारित कर दिये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, राशमी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम वासीयान की ओर से शिकायत प्रस्तुत की कि अपीलांट अतिक्रमी ने ग्राम पंचायत बारू में पुराने पंचायत भवन के पास खाली पड़ी भूमि किस्म रास्ता पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का बारू को भेजने पर पटवारी हल्का द्वारा शिकायतकर्ता प्रार्थीगण स्वयं को भी अतिक्रमी एवं झगडालू बताते हुए टीम गठित कर मौका जांच हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार राशमी द्वारा दिनांक 14.01.2021 को टीम गठित की जाकर मौका जांच एवं सीमा जानकारी के आदेश दिए। उक्त टीम द्वारा दिनांक 19.01.2021 को मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत बारू एवं मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाकंन करा अतिक्रमियों को चिन्हित किया तत्पश्चात् पटवारी हल्का बारू की रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 03.02.2021 को तारीख पेशी नियत की व उसी दिन जवाब अपीलांट बंद किया जाकर एक तरफा कार्यवाही की जाकर उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिए यह आदेश पारित किया है जो अपने आप मे अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। विवादित

भूखण्ड मौजा बारू के आबादी हल्का में अवस्थित होकर बाडे आंवटन किए हुए हैं तथा अपीलांट काफी लम्बे समय से बाडा बनाकर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है अपीलांट के साथ ही कई व्यक्ति उक्त आबादी भूमि पर बाडे बनाकर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिलानाम आराजी नम्बर 1926 किस्म रास्ता पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली व पक्का निर्माण हटाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अपीलांट ने जिस जगह बाड़ा बना रखा है उसके अडौस-पड़ौस में पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दक्षिण में चन्द्र शेखर ब्राह्मण की दुकान अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण आबादी का रकबा होकर आबादी के रकबे पर आवासीय मकान, दुकान, उप स्वास्थ्य केन्द्र हुए है जो कि रास्ते की आराजी नहीं होकर आबादी भूमि है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 03.02.2021 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने तथा निर्माण हटाने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 29.01.2021 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर उपलब्ध है तथा आदेशिका दिनांक 29.01.2021 से अपीलार्थी को जवाब पेश करने का अवसर दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 03.02.2021 उपलब्ध कराई गई है। अतः अपीलार्थी का कथन की अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब पेश करने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

पटवारी हल्का बारू ने ग्राम बारू की आराजी नम्बर 1926 रकबा 0.081 है. किस्म रास्ता में $64^{1}/_{2}$ X 20 फीट भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्का बरामदा व मकान, चारदीवारी निर्माण कर अतिक्रमण करना बताया है जबकि अपीलांट ने

विवादित भूमि जिस पर अपीलांट का बरामदा, मकान व चारदीवारी निर्माण किया हुआ है उसे रास्ते की भूमि नहीं होकर आबादी भूमि होना बताया है साथ ही अन्य व्यक्तियों के भी उक्त आबादी भूमि पर आवासीय मकान, दुकान एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित होना बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राशमी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जिस भूमि पर पक्का बरामदा, मकान व चारदीवारी निर्माण किया हुआ है उसका पुनः मौका दिखाकर सीमांकन/नपती करवाई जावे। यदि उसके बाद भी अपीलार्थी का निर्माण रास्ते की भूमि पर पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.02.2021 यथावत रहेगा।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)